न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/132

1. प्रेमशंकर पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़
2. पिन्की पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़
3. शीला पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़
4. सुनीता पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़
5. मांगी बाई पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड़
निवासीगण ग्राम कालाजी का बाग, ग्राम हरीपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र सीताराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आरे से।

निर्णय **दिनांकः 27.11.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 63/2023(2023/22) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम हरिपुरा मांझी पटवार हल्का हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा राज० में खाता संख्या नया 94 के खसरा नं. 436 की रकबा 0.97 हैक्टर आराजी स्थित है। जिसमें मुझ वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा निहित है। वादी अपने 1/2 हिस्सा पर पारिवारिक मौखिक विभाजन मुताबिक करीबन 20 वर्ष से पूर्वी दिशा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसे कभी स्वयं तो कभी प्रांति काश्त अथवा मुनाफा काश्त पर काश्त करवाता है। इस वर्ष भी वादी ने अपनी निहित हिस्सा

आराजी को हरिशंकर पुत्र गणेशराम जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा मांझी को मुनाफा काश्त पर जुपा रखी है जिसमें उसनें इस वर्ष सोयाबीन की फसल बो रखी है। वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी का राजस्व रेकार्ड में विभाजन नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 के मध्य हर वर्ष आराजी को काश्त करने, लगानराज जमा कराने, कृषि कनेक्शन लेने, सरकारी कांटे पर अनाज बेचने आदि में भारी परेशानी आ रही है। इसलिए वादी वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में निहित अपनी 1/2 हिस्सा आराजी का खाता विभाजन करवाकर पृथक से खाता व पृथक से लगान निर्धारित करवाना चाहता है। इसलिए यह वाद पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 से दिनांक 07.08.2023 को वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी का तहसील में जाकर खाता विभाजन करने के लिए कहां तो उन्होनें खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया और उल्टा जबरन वादी की हिस्सा आराजी की तरफ पाल्टा निकालने की धमकी दी। इसलिए वाद कारण दिनांक 07. 08. 2023 को उत्पन्न हुआ। वादी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह वाद पत्र के पैरा नं. में वर्णित माल ग्राम हरिपुरा मांझी पटवार हल्का हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा राज० में खाता संख्या नया 94 के खसरा नं. 436 की रकबा 0.97 हैक्टर आराजी में वादी का निहित 1/2 हिस्सा आराजी का कब्जा काश्त मुताबिक खाता विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक से खाता एवं पृथक से लगान निर्धारित करवा लेवें तथा नक्शा ट्रेस में भी उसका अंकन करवा लेवें तथा जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 को पाबंद करवा लेवें कि वह मुझ वादी के 1/2 हिस्सा आराजी के शांति पूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत व मजामहत नही करें, ऐसा ना तो प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 स्वयं करें और ना ही अपने किन्हीं एजेण्टो या रिश्तेदारों से ऐसा करावें तथा वादी को अपनी हिस्सा आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने दें। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का. वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर इस आशय की खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें कि– (अ) कि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित माल ग्राम हरिपुरा मांझी पटवार हल्का हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा राज० में स्थित खाता संख्या नया 94 के खसरा नं. 436 की रकबा 0.97 हैक्टर आराजी में वादी के निहित 1/2 हिस्सा आराजी का कब्जा काश्त मुताबिक खाता विभाजन किया जाकर पृथक से खाता एवं पृथक से लगान निर्धारित की जावें तथा राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में भी उसका अंकन व तरमीम की जावें एवं नापकर वादी को मौके पर कब्जा सम्भलाया जावें। (ब) प्रतिवादी गण कम 1 लगायत 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावें कि वह वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित उपरोक्त आराजी में वादी की निहित 1/2 हिस्सा आराजी जिस पर पूर्वी दिशा में वादी काबिज काश्त चला आ रहा है, उसमें वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 किसी प्रकार से मदाखलत व मजामहत नही करें ऐसा ना तो प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 स्वयं करें और ना ही अपने किन्ही एजेण्टो या रिश्तेदारों से ऐसा करावें तथा वादी को शांतिपूर्वक अपनी हिस्सा आराजी काबिज होकर काश्त करने देवें। (स) कि वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी प्रतिवादीगण, से प्रकरण की परिस्थितियों के मुताबिक प्राप्त करने का अधिकारी हो वह भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2024 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23. 10.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को दिनांक 23.10.24 का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान करने की सूचना वकील साहब द्वारा नहीदी गयी दिनांक 22.04.25 को वकील साहब से जाकर मिलने पर वकील साहब द्वारा आदेश के बाबत बताया जिसपर नकल का आवेदन कर दिनांक 23.04.25 को नकल प्राप्त की। इस प्रकार जानकारी की तिथी दिनांक 22.04.25 से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की त्रुटि सदभाविक एवं क्षम्य है। न्यायहित में उदारता का रूख अपनाकर अपीलान्ट को न्याय प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 23.10.24 से आज तक की अवधि कन्डोन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध डिक्री प्रदान करदी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। कानूनी नजीरो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलाट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम हरीपुरा मांझी स्थित खसरा नम्बर 436 पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी में से मात्र 2 बीघा आराजी पारिवारिक बंटवारे मे प्राप्त हुयी है किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करदी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये व साक्ष्य दर्ज किये बिना ही आदेश

पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमायी जावे तथा रेस्पोडेन्ट का वाद खारिज फरमाया जावे, अन्य सहायता भी अपीलान्ट को प्रदान की जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं अपीलांटगण का शेष 1/2 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक मौखिक विभाजन किया हुआ है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूर्वी दिशा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तदनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन किए जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री में पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को ध्यान में रखते हुए नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन किए जाने का आदेश अंकित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारान के हक हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक दर्ज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपील संख्या 2025/132

प्रेमशंकर बनाम लालचन्द, सरकार वगै0

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील कनवास की खसरा संख्या 436 रकबा 0.97 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तथा मोके पर कब्जे अनुसार विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम हरीपुरा मांझी की खसरा संख्या 436 रकबा 0.97 हैक्टेयर आराजी में अपीलांट संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित सहखातेदार है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपने हिस्से की भूमि का ही विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा है, तथा प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाबदावे में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। अतः हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के हक हिस्से को लेकर किसी प्रकार का विवाद उभयपक्षकारान के मध्य होना परिलक्षित नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे के कुछ अंश इस प्रकार है– " विभाजन में प्रतिवादीगण को भी आपत्ति नहीं है पूर्वी व पश्चिमी हिस्सा नही करके उत्तरी व दक्षिणी हिस्सा 1/2 वादी का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।" अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का उत्तरी व दक्षिणी हिस्से अनुसार विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद खसरा संख्या 436 की भूमि के मोके पर बंटवारे को लेकर है जिसके सम्बंध में अपीलांट का कथन है कि खसरा सख्या 436 की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मात्र 2 बीघा भूमि पर कब्जा है तथा शेष भूमि पर केवल अपीलांटगण का कब्जा है। हमारे मत में प्राथमिक डिक्री में केवल उभयपक्षकारान के हक अधिकार तय किए जा सकते है परन्तु मोके पर कब्जे अनुसार विभाजन किए जाने के प्रश्न का हल प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के उपंरात अंतिम निर्णय व डिक्री में ही किया जाना संभव है। हमारे मत में कब्जे अनुसार विभाजन किए जाने का जो अनुतोष प्राथमिक डिक्री के स्तर पर प्रदान किया जाना संभव नहीं है। यदि प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव से अपीलांट असहमत है तो वह ऐसे विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय विधिवत् आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, साथ ही यदि अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष के अनुसार विभाजन नहीं किए पर अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपीलांट विधिक प्रकिया के तहत अपील प्रस्तुत करके वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.10.2024 में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 पारित की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकीवार निष्कर्ष पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रश्नगत प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 पारित की गई है जो विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 2310.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 63/2023 (2023/22) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2024 यथावत रखी जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025 / 132

1. प्रेमशंकर पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़
2. पिन्की पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़
3. शीला पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़
4. सुनीता पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़
5. मांगी बाई पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड़
   निवासीगण ग्राम कालाजी का बाग, ग्राम हरीपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा

——अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र सीताराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्टगण

प्रकरण संख्या: 63 / 2023(2023 / 22)

लालचन्द पुत्र सीताराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम हरिपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. प्रेमशंकर पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़
2. पिन्की पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़
3. शीला पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़
4. सुनीता पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड़

6. मांगी बाई पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड़
   निवासीगण ग्राम कालाजी का बाग, ग्राम हरीपुरा मांझी तहसील कनवास जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 63/2023 (2023/22) में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 27.11.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.10.2024 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 27.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

27/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा